

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

कमांक प.11(1)मं.मं./1999

जयपुर, दिनांक 28.03.2023

आदेश

इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.11.2012, 7.12.2017 एवं 18.7.2022 में संशोधन कर विभिन्न बोर्ड/निगम/आयोग/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/पदाधिकारीगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को निम्नानुसार सुविधायें उनके कार्यग्रहण तिथि से देय किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-


क्र.सं.	मद	देय सुविधायें		
		दर्जे की स्थिति	वेतन	सत्कार भत्ता
1.	वेतन एवं सत्कार भत्ता	मंत्री स्तर	65000/-	55000/-
		राज्यमंत्री स्तर	62000/-	55000/-
		उपमंत्री स्तर	60000/-	40000/-
2.	आवास भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री स्तर के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष /पदाधिकारीगण	मासिक आवास भत्ता	विशेष विवरण
		जो जयपुर के निवासी नहीं है।	30000/-	इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी।
		जो जयपुर के निवासी है।	10000/-	
3.	दैनिक भत्ता	क- राज्य में रूपये 2000/- प्रतिदिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)		
		ख- राज्य से बाहर रूपये 2500/- प्रतिदिन(100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)		
		(नोट:- उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी)		
4.	टेलिफोन, पोस्टपैड मोबाईल, ब्राडबैण्ड व इन्टरनेट मॉडम सहित	1. एक नि:शुल्क राजकीय टेलिफोन कार्यालय उपयोग हेतु।		
		2. स्थाई लैण्डलाईन टेलिफोन, पोस्टपैड मोबाईल, ब्राडबैण्ड व इन्टरनेट मॉडम सहित हेतु प्रतिमाह वित्तीय सीमान्तर्गत सुविधा निम्नानुसार अनुज्ञेय होगी:-		
		दर्जे की स्थिति	वित्तीय सीमा (प्रतिमाह)	
		मंत्री स्तर	10000/-	
		राज्यमंत्री स्तर	8500/-	
उपमंत्री स्तर	3750/-			
		(सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग के आदेश संख्या: प. 5(31) साप्र/3/82 दिनांक 3.9.2012 के अनुसार)		
5.	ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय सुविधा के अनुसार		
6.	वाहन सुविधा	एक वाहन जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दोरे हेतु।		

कमश:.....2

क्र.सं.	मद	देय सुविधायें
7.	चिकित्सा सुविधा	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार
8.	यात्रा भत्ता	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को देय (ए-श्रेणी के अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता ।


नोट:- विभिन्न बोर्ड/निगम/आयोग/समितियों में पदस्थापित सदस्यगण को इस सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.11.2012 में वर्णित सुविधायें ही देय होंगी ।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी सं. 102205039 दिनांक 25.1.2023 व आई.डी सं. 102300334 दिनांक 22.3.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है ।


(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. सचिव(जीजी), मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. समस्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, बोर्ड/निगम/आयोग ।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव ।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग को आई.डी सं. 102205039 दिनांक 25.1.2023 व आई.डी सं. 102300334 दिनांक 22.3.2023 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में ।
9. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड किये जाने बाबत ।
11. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग ।


(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव